

# न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर, जिला अजमेर

रसद प्रार्थना पत्र संख्या 32/2025

राजस्थान सरकार जरिये रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी, अजमेर।

.....प्रार्थी

बनाम

श्री राजेश कहार पुत्र श्री शिशुपाल  
मैसर्स अजमेरी यार टी स्टॉल, नई चौपाटी, अजमेर

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

उपस्थित: श्री रेणुका चतुर्वेदी, प्रवर्तन अधिकारी – पैरोकार सरकार  
श्री विजय सिंह बैस अभिभाषक अप्रार्थी

## आदेश

दिनांक 01.04.2026

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 24.1.2025 को जिला कलक्टर महोदय के आदेशानुसार गैस सिलेण्डरों के अवैध रूप से व्यावसायिक दुरुपयोग/घरेलू सिलेण्डरों के अवैध रूप से रोकने के अभियान के तहत जांच दल श्री राजेश कहार पुत्र श्री शिशुपाल मैसर्स अजमेरी यार टी स्टॉल, नई चौपाटी, अजमेर पहुंचे। दुकान पर घरेलू गैस सिलेण्डर लगा कर व्यावसायिक दुरुपयोग किया जा रहा था। गैस सिलेण्डर के सदंर्भ में कोई कागजात मौके पर प्रस्तुत नहीं किए। दुकान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग कर कार्य में घरेलू सिलेण्डर दुरुपयोग करना पाया गया यह घरेलू गैस सिलेण्डरों के व्यावसायिक उपयोग की पुष्टि करता है। अप्रार्थी अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी सिलेण्डरों का दुरुपयोग कर एल.पी.जी. आदेश 2000 के खण्ड 3(1) सी की अवलहेलना होने के कारण घरेलू एल.पी.जी सिलेण्डर को राजहित में जब्त किया गया। मौके पर वर्धमान गैस एजेन्सी, अजमेर का कार्मिक श्री प्रकाश सिंह रावत पुत्र श्री रामसिंह निवासी भीम ब्यावर को बुलवा कर कटि से वजन करवाने पर सिलेण्डर का विवरण निम्नानुसार पाया गया।

क्र.सं.	S.R.NO.	CO.	T.W.	G.W.	N.W.GAS
1	849721	locl	15.5	18.9	3.4
2	354980 एस	locl	15.5	16.5	0.1

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए के तहत प्रस्तुत कर जब्तशुदा 02 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर, मय 3.5 किग्राम एलपीजी को राजसात करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

जिला कलक्टर  
अजमेर

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी जरिये अधिवक्ता उपस्थित जवाब प्रस्तुत किया गया। सुनवाई दिनांक को अप्रार्थी अभिभाषक उपस्थित नहीं होने पर बहस परोकार सरकार सुनी गई।

पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि दिनांक 24.1.2025 को जांच दौरान अप्रार्थी द्वारा अपने व्यावसायिक स्थल पर घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक दुरुपयोग, अवैध गैस रिफिलिंग किया जाना पाया गया। मौके पर 02 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर मय 3.5 किग्राम एलपीजी पाया गया। अप्रार्थी द्वारा गैस सिलेण्डर के संदर्भ में कोई कागजात मौके पर प्रस्तुत नहीं किए गये ना ही सिलेण्डर भण्डारण का कोई सन्तोषजनक जवाब मौके पर दिया गया। अप्रार्थी का यह कृत्य एल.पी.जी आदेश 2000 की धारा 3 (1) सी का स्पष्ट उल्लंघन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा 02 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर मय 3.5 किग्राम एलपीजी को राजसात फरमावें।

अप्रार्थी अभिभाषक ने जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की जानकारी के अभाव में किया गया जिसकी जानकारी अप्रार्थी को नहीं है। उपरोक्त कृत्य भविष्य में नहीं किया जाएगा। अतः जप्तशुदा सिलेण्डर अप्रार्थी को लोटावे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वरवक्त जांच अप्रार्थी द्वारा एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक उपयोग तथा जांच में असहयोग किया जाना पाया गया। मौके पर घरेलू गैस सिलेण्डर के माध्यम से व्यावसायिक उपयोग एवं अवैध गैस रिफिलिंग किया जा रहा था। प्रार्थी की जांच कार्यवाही दिनांक 24.1.2025 में अप्रार्थी के उपरोक्त अवैध कृत्य स्वतः ही साबित है। अप्रार्थी द्वारा अपना जवाब भी प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा कब्जेराज लिये गये जब्तशुदा 02 घरेलू एलपीजी सिलेण्डर, मय 3.5 किग्राम एलपीजी को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत राजसात किया जाता है। चूंकि उक्त सिलेण्डर को संबन्धित कम्पनी अमानत राशि लेकर नये उपभोक्ताओं को जारी करेगी। अतः पूर्व में जमा अमानत राशि राजकोष में जमा करवाई जावें।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 01.04.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।



*(Handwritten signature)*

(लोक बंधु)

जिला कलक्टर, अजमेर